Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

प्रारूप–11

वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य आख्या का प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि0मी0 5.000 से कि0मी0 5.250, कि0मी0 5.300 से कि0मी0 5.420, 5.640 से कि0मी0 6.180, 10.140 से कि0मी0 18.030 एवं कि0मी0 18.500 से कि0मी0 18.630 भाग वन भूमि से गुजरता है। यह मार्ग जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को ऋषिकेश एवं देहरादून को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन हमेशा बना रहता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) पर आने वाले ट्रैफिक में वाहनों की संख्या डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 5.400 तक कुल 15,000 पी0सी0यू0, कि.मी. 5.400 से कि.मी. 9.700 तक कुल 17,000 पी0सी0यू0, कि.मी. 9.700 से कि.मी. 18.870 तक कुल 15,000 पी0सी0यू0 है। कि0मी0 9.700 से कि0मी0 18.030 भाग में हाथियों का अवागमन अत्यधिक होने व ट्रैफिक में वाहनों की संख्या भी अधिक होने एवं सड़क चौड़ाई कम होने के कारण सडक पर वाहन जाम में खड़े रहते है। जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा राष्ट्र को आर्थिक क्षति पहुंचती है। डिजाईन कि.मी. 0.800 से कि.मी. 9.700 तक पहले से ही चार लेन बना हुआ है लेकिन यह राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार नहीं बना हुआ है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पहले से चार लेन बने खण्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार सुधार कार्य, हाथियों के एक तरफ से दूसरे तरफ अवागमन के लिये हाथी गलियारे व सात मोड़ों के वक्र सुधार कार्य होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी कार्यो के लिये वन भुमि की आवश्यकता अनिवार्य है।-अतः वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य है। इस के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
थानों रेंज
देहरादून, वन प्रभाग

पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–वसन्त विहार, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

तहसीलदार
ऋषिकेश

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

जयपाल सिंह रावत
रा0उ0नि0

तहसीलदार
डोईवाला

उप जिलाधिकारी